न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 27/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री मनीष पुत्र श्री महेश हरिजन
लौगिया मोहल्ला, लोगिया पार्किग के पास
वार्ड नं0 9, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री मनीष तंवर अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्व अभियान के तहत दिनांक 18.09.2024 को नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी, श्रीमती शीला बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल श्री मनीष पुत्र श्री महेश हरिजन, लोगिया मोहल्ला, लोगिया पार्किग के पास वार्ड नम्बर 09 अजमेर पहुॅचा। उक्त के बारे में पूर्व में यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा अपने निवास पर ही गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा है। मौके पर मकान के बाहर बने जाली केबिन में भारत गैस के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 01 अवैध गैस रिफिलिंग मशीन बरामद हुई। रिफलिंग मशीन में दोनो ओर पाईप लगे थे तथा उसमें विघुत कनेक्शन लगा हुआ था। रिफिलिंग मशीन की उपस्थिति के बारे में की गई शिकायत सही थी अतः मौके पर गैस रिफलिंग मशीन तथा भारत कम्पनी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त किया गया । अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स चन्द्रायन गेस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अयूब खान पुत्र कयूब खान अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	249393 एस	BPCL SEALED	15.9	15.9	-

जिला कलक्टर
अजमेर

2	362237	BPCL SEALED	15.7	15.7	-

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 01 अवैध गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग, अवैध गैस रिफलिग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 01 अवैध गैस रिफलिंग मशीन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी. जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 01 अवैध गेस रिफलिंग मशीन को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध गैस रिफलिंग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 18.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 01 अवैध गेस रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर